अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–06/2021
सावित्री देवी बनाम मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, वेस्ट बोकारो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

08/01/22

सावित्री देवी, पति–महादेव मांझी, ग्राम केलाडीह, पो० केदला, थाना–माण्डू, जिला रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–50/2015–16 सावित्री देवी वगै0 बनाम् मेसर्स टाटा स्टील लि0 वेस्ट बोकारो में दिनांक 18.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

भूमि की विवरणी निम्नवत है :

क्र0 सं0	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)
1	केदला	38	26	कुल रकबा 9.66 ए0 मध्ये 1.61 ए0
2	बंजी	31	685	0.14 ए0
			कुल–	1.75

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदिका अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। वापस ली जाने वाली जमीन का पूरा विवरण – खाता सं0 38, प्लॉट सं0 26 कुल रकबा 9.66 एकड़ मध्ये आवेदक का हिस्सा 1.61 एकड़ सेवर नं0 2, परगना जगेसर मौजा केदला नं0 160 एवं माण्डू थाना नं0 159 खाता सं0 31 प्लॉट सं0 685 रकबा 0.14 एकड़ है। जिस व्यक्ति के दखल में जमीन है, उसका पूरा ब्यौरा मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड वेस्ट बोकारो, कोलियरी द्वारा महाप्रबंधक, घाँटोटांड़, थाना माण्डू, अनुमण्डल रामगढ़ जिला रामगढ़ है। वापस ली जाने वाली जमीन के अन्तरण संबंधी विवरण : (क) जमीन के अन्तरण की तिथि – 09.09.2013, (ख) क्या जमीन की अन्तरण निबंधित बिक्री पत्र (रजिस्टर्ड डीड) बन्धक, जिला गिफ्ट या ठेका आदि द्वारा किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरण – जमीन पर कब्जा, घाटो कोलयरी में आवेदक संख्या (ii) प्रेमलाल मांझी को जमीन के एवज में घाटो कोलयरी में टाटा कम्पनी के अन्दर नौकरी देने का झांसा देकर जमीन संबंधी मूल कागजात विपक्षी के द्वारा ले लिया गया तथा आवेदकगण के पैतृक जमीन पर नाजायज तरीके से बुलडोजरिंग कर टाटा कम्पनी के कब्जे में ले लिया गया है। उक्त जमीन आवेदकों का निवास स्थान एवं जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था। आवेदकगण के द्वारा उक्त कम्पनी विपक्षी से नौकरी मांगने पर जान–माल का धमकी दिया जाता है तथा कम्पनी के सुरक्षाकर्मी के द्वारा धक्का देकर कम्पनी के कार्यालय परिसर से जबरन हटा दिया जाता है। विगत 2013 से आवेदकगण को कम्पनी के पदाधिकारियों के द्वारा झूठा आश्वासन देकर जमीन का कब्जा कर लिया गया है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है। (ग) क्या जमीन का हस्तांतरण में उपायुक्त का पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी – नहीं।

(ध) क्या जमीन का हस्तांतरण छल, प्रपंच या अन्य नाजायज तरीके से किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरण– जमीन का अंतरण धोखाधड़ी कर बुलडोजर लगाकर नौकरी के आश्वासन में बिना उपयुक्त अनुमति का किया गया है। वापस की जाने वाली जमीन की वर्तमान स्थिति क्या उस जमीन पर पक्का मकान आदि भी बना हो तो उसके बनने की तारीख एवं उसका अनुमानित मूल्य – आदिवासी काश्तकारी जमीन। विवादास्पद भूमि सर्वे खतियान में रामजीत मांझी, जत्तु मांझी, सुखो मांझी एवं अन्य रैयती भूमि मालिक, थाना संख्या 160 खाता सं0 38, प्लॉट सं0 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 61/1 रकबा 0.34 (अंश), 4.08 (अंश), 0.03 (अंश), 0.97 (अंश), 0.12, 0.60, 0.08, 0.45, 0.34, 0.75, 0.06, 0.02, 1.36 (अंश), 0.83, 0.27, 0.10 (अंश), 0.16 है। आवेदक संख्या– 01 सावित्री देवी ने दिनांक 02.08.2005 को दस्तावेज संख्या 1407 निबंधन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में मसोमात छोटकी मांझीयाईन से 0.14 एकड़ जमीन धान खेत रैयती कायमी वाके मौजा बंजी परगना जगेसर, थाना गण्डु थाना सं0 159 अन्दर रजिस्ट्री हजारीबाग से बजरिये परमिशन केस सं0 22/2005 तारीख 03.08.2005 सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार हासिल की है। पत्रांक 01 दिनांक 04.01.2013 को कार्यालय अंचल अधिकारी, गाण्डु शपथ पत्र संख्या 40458 दिनांक 26.12.2012 को पारिवारिक वंशावली निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत सोमना मांझी के वारिस रामजीत मांझी, जट्टू मांझी, सुखो मांझी, रतना मांझी, चुड़का मांझी, रती मांझी एवं बोधो मांझी के वंशजों का पूर्ण विवरणी निर्गत किया गया है। आवेदिका सावित्री देवी को जट्टू मांझी, पुत्र मंझियाँ मांझी के पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। आवेदक संख्या दो आवेदिका का पुत्र है। आवेदिका ने दिनांक 16.01.2013 को विरूद्ध महाप्रबंधक टाटा स्टील वेस्ट बोकारो को आवेदन देते हुए जमीन की नौकरी एवं मौजा के संबंध में मांग किया। जिसके अन्तर्गत जमीन का खतियान, रसीद इत्यादि संलग्न किया। दिनांक 09.09.2013 को आवेदिका ने लिखित कानूनी नोटिस महाप्रबंधक, टाटा वेस्ट बोकारो कोलयरी एवं वरीय प्रबंधक (भूमि, इजारा एवं विधि) को दिया। उक्त नोटिस के अन्तर्गत आवेदिका ने स्वयं को सुखो मांझी एवं बोधो मांझी के वारिस होने के चलते मुआवजा एवं नौकरी अपने 1/3 हिस्सा के एवज में मांग किया तथा यह हिदायत दिया कि यदि अविलम्ब मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आवेदिका कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। दिनांक 06.11.2013 को आवेदिकागण ने मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, महाप्रबंधक, टाटा स्टील एवं वरीय प्रबंधक, (भूमि, इजारा एवं विधि) को विपक्षी दर्शाते हुए कम्पनी के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने के बावत में प्रतिवाद दर्ज कराई तथा सक्षम पदाधिकारी उपायुक्त, रामगढ़ से आग्रह किया कि उक्त जमीन के एवज में मुआवजा एवं नौकरी प्रदान करवाया जाय। उक्त प्रतिवाद दिनांक–06.11.2013 में आवेदिका ने साफ तौर पर कहा कि उपरोक्त जमीन आवेदिका के दखल कब्जे में है तथा उसका नाम उक्त जमीन रजिस्टर 2 में मंझिया मांझी के नाम से दर्ज है। आवेदिका मंझिया मांझी की पुत्री है। दिनांक 04.12.2013 को आवेदिका ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 7282/2013 दाखिल किया।

जिसके अन्तर्गत यह प्रार्थना किया गया कि प्रतिवादी संख्या 02 उपायुक्त, रामगढ़ को निर्देशित किया जाय कि आवेदिका का रैयती कायमी जमीन जो उसके दखल कब्जे में है, वह जाल–फरेब के द्वारा टाटा कम्पनी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा उक्त रैयती जमीन के एवज में उचित मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिया गया है। दिनांक 01.03.2014 को आवेदिका ने उपायुक्त, रामगढ़ एवं आरक्षी अधीक्षक, रामगढ़ को लिखित आवेदन देते हुए शिकायत किया कि विपक्षी टाटा कम्पनी गलत एवं जाल–फरेब से आदिवासी जमीन कम्पनी के उपयोग के लिए कब्जा कर लिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला 2012 (10) एस.सी.सी. 283 राजस्थान सरकार बनाम अंजनी आर्गेनिक हर्बल प्राईवेट लिमिटेड में दिये गये कानूनी दिशा–निर्देश एवं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध किया गया है। सहायक प्रबंधक लैंड लीज एवं लीगल वेस्ट बोकारो टाटा स्टील लिमिटेड ने पत्रांक डब्ल्यू.बी.डी./एल. एल. एवं एल/केदला/G28/115 16.04.2015 निर्गत किया गया। जिसमें आवेदक प्रेमलाल मांझी को नौकरी की प्रक्रिया पूरा करने एवं सहमति का लिखित जानकारी कम्पनी के द्वारा मांगा गया। आवेदिका ने दिनांक 14.03.2014 को मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय में उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंजनी आर्गेनिक हरबल प्राईवेट लिमिटेड में दिये गये फैसले का फोटोकॉपी फाइल किया तथा यह प्रार्थना किया कि आदिवासी जमीन कम्पनी के उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। कम्पनी के निर्देश पर आवेदिका एवं खतियानी रैयतों के बीच एक संयुक्त सुलहनामा दिनांक 08.09. 2014 को रामगढ़ कचहरी में सम्पन्न करवाया गया जिसके अन्तर्गत खतियानी रैयत के परिवार अपने हिस्से के अनुपात में नौकरी एवं मुआवजा तय करते हुए सुलह किया। यह संयुक्त सुलहनामा नोटरी पब्लिक रामगढ़ के द्वारा नोटरी करवाया गया है। जिसमें सभी वारिसानों का हस्ताक्षर अंकित है। प्रतिवादी कम्पनी के झूठे आश्वासन के विरूद्ध आवेदिका ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किए गये रिट याचिका डब्लू.पी.सी. नं0 7282/13 को दिनांक 16.09.2014 को झारखण्ड उच्च न्यायालय से वापस लेने के लिए आग्रह किया। प्रतिवादी कम्पनी ने दिनांक 31.12. 2014 को आवेदक संख्या 2 से नौकरी के लिए आवेदन प्राप्त किया तथा दिनांक 02. 01.2015 को प्रेमलाल मांझी का मेडिकल करवाया गया, जिसमें प्रेमलाल मांझी का स्वास्थ्य नौकरी के लिए उपयुक्त पाया गया। आवेदिका ने पुनः दिनांक 23.06.2015 को महाप्रबंधक के कार्यालय में आवेदन देते हुए आग्रह किया कि मेरे पुत्र प्रेमलाल मांझी को भी.टी.सी. ट्रेनिंग कराने के बावजूद भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि "2. बिरसीद देवी पति देवलाल किस्कु दोनों पुत्री के हिस्से में एक हिस्से में 1.61 डी0 आता है। जिसमें सावित्री देवी टाटा कम्पनी को एग्रीमेन्ट कर दी है। मेरे पुत्र प्रेमलाल मांझी को कम्पनी द्वारा भी.टी.सी. (ट्रेनिंग) करवाकर ज्वाइनिंग देने में आना कानी कर रही है। न्यायालय द्वारा समझौता होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। कम्पनी द्वारा जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। उसी जमीन से जीवनयापन करते थे। अब हम लोग भूखे मर रहे हैं। क्योंकि कम्पनी द्वारा डोजरिंग कर दिया गया है। उपजाऊ जमीन नष्ट कर दिया

गया है"। दिनांक 24.06.2015 के आवेदन के माध्यम से आवेदिका ने कम्पनी से अपने हिस्से के एवज में अपने पुत्र प्रेमलाल मांझी को नौकरी एवं मुआवजा देने के लिए आग्रह किया तथा दिनांक–14.07.2015 को आवेदिका ने कम्पनी से उपरोक्त नौकरी अपने पुत्र प्रेमलाल मांझी को देने के लिए आग्रह किया। दिनांक 26.06.2015 को आवेदिका ने अपने पुत्र प्रेमलाल मांझी को टाटा कम्पनी वेस्ट बोकारो में नौकरी के लिए आग्रह किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी कम्पनी ने दिनांक 06.05.2015 को अपने दो बहनों के बीच में छलप्रपंच से एक एकरारनामा बनाने को कहा गया। आवेदिका ने उपरोक्त एकरारनामा में अपना सही दस्तखत करके कम्पनी को दे दिया तथा यह स्पष्ट किया कि मेरे हिस्से के एवज में मेरे पुत्र प्रेमलाल मांझी को नौकरी अविलम्ब दिया जाये। यह भी अनुरोध किया कि कम्पनी ने छल प्रपंच एवं धोखाधड़ी करके मेरे रैयती जमीन का डोजरिंग करवाकर नाजायज कब्जा में ले लिया है। यदि मुझे अपने हिस्से के जमीन का मुआवजा एवं प्रेम लालमांझी को जमीन के एवज में नौकरी नहीं दिया जाता है तो अविलम्ब कम्पनी मेरे रैयती जमीन में मेरे हिस्से के भू–खण्ड को पुनर्स्थिति में वापिस किया जाय। अन्यथा बाध्य होकर भू वापसी के लिए सक्षम न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल करूँगी। उन्होंने दावे स्वरूप खतियान की प्रति, लगान रसीद 2013–14, केवाला संख्या 14307 दिनांक–02.09.2015 लगान रसीद 2012–13 से 2013 14, 2014–15, वंशावली प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किये हैं।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत कर, निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा दायर आवेदन का आधार गलत तथा तथ्यों से परे है, आवेदन खारिज करने योग्य है। प्रथम पक्ष द्वारा दायर आवेदन में आरोप लगाया गया कि वे उक्त भूमि पर अवैध दखल कब्जा किये हुए हैं। जबकि द्वितीय पक्ष इसका वास्तविक मालिक है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि भू–वापसी कर दखल कब्जा हेतु अनुरोध किया है। उनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के तहत् आवेदन दायर किया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में दी गई सीमा की अवधि के अन्तर्गत दायर नहीं होने के कारण आवेदन खारिज करने योग्य है। वादी, के द्वारा गलत कहा गया है कि उन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 09.09.2013 को बेदखल कर दिया गया है। जबकि वास्तव में प्रश्नगत भूमि, अधिग्रहण के प्रावधानों के तहत् अधिग्रहित की गई थी। तीस साल पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम और उसके कब्जे को द्वितीय पक्ष को सौंप दिया गया था। जिसने उक्त भूमि पर खनन और संबद्ध कार्य शुरू किया था। तत्काल अधिग्रहण और प्रश्नगत भूमि को सौंपने के पूरे तथ्यों को स्वीकृति प्रदान किया जा रहा है। खतियान के मामले में सही और वास्तविक तथ्य निम्न है :– (1) प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी से प्रश्नगत भूमि दखल कब्जा पाने हेतु भू वापसी आवेदन दायर किया है, जिसमें भूमि की विवरणी निम्न है :– (A)

ग्राम–केंदला, थाना–मांडु, थाना सं0 160, खाता सं0–38, प्लॉट सं0–64, 50/1, 54, 58, 59, 61, 62P, 65, 48/1, 52P, 56, 57, 61/1, एवं 47/1, कुल रकबा–9.66 एकड़ में गये रकबा–1.61 एकड़ का भू–वापसी हेतु आवेदन है। (B) ग्राम–बंजी, थाना–मांडु, थाना सं0–159 खाता सं0–31, प्लॉट सं0–685, कुल रकबा–0.14 एकड़ है। उन्होंने कहा है कि आवेदक खतियानी रैयत के सम्पत्ति के वंशज एवं वैध उत्तराधिकारी है और इसके आधार पर ही भू–वापसी का आवेदन दायर किया है। उक्त भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत् विधिवत् अधिग्रहित किया गया है और द्वितीय पक्ष कंपनी को उसी का कब्जा दिया गया है। अधिग्रहण के बाद, क्षतिपूर्ति आदि जमा कर दी गयी है। इसलिए वाद अस्वीकृत करने योग्य है। अधिग्रहण का पूरा विवरण, द्वितीय पक्ष को उसी के कब्जे में सौंपने और द्वितीय पक्ष द्वारा खनन और संबंध गतिविधियों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राम केंदला की भूमि के संबंध में, जिनके कब्जे में आवेदकों द्वारा माँगी गई है। ग्राम केंदला के खाता सं0 38 प्लॉट सं0 64, 50/1, 54, 58, 59, 61, 62P, 65, 48/1, 52P, 56, 57, 61/1 एवं 47/1 कुल रकबा 9.66 एकड़ (आवेदन में प्लॉट सं0 26 गलत दर्ज है।) उपायुक्त, हजारीबाग के L.A. Case No.- 18/1988-89 के द्वारा अधिग्रहित किया गया। तथ्य विवरणी में प्लॉट सं0 26 का उल्लेख किया गया जबकि वास्तव में खतियान के आधार पर ग्राम केंदला के खाता सं0 38 पर प्लॉट सं0 26 नहीं है। L.A. Case No.- 18/1988-89 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के धारा 4 के अधिसूचना सं0 DLA - HAZ 117 / 87 /1000R पटना, दिनांक 30.03.1988 के निर्गत है। जिला भू– अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के द्वारा जिला गजट में घोषणा सं0 1356 दिनांक 28.04. 1988 तथा दिनांक 26.04.1990 को तैयार हुई अवार्ड की सूची प्रकाशित की गई थी। बाद में L.A. Case No.- 18/1988-89 अवार्ड दिनांक 28.04.1989 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ उल्लेख करना उचित है कि रामजीत मांझी, जादो मांझी वो सुखु मांझी वो एतवा मांझी वो मुक्ता मांझी वो रती मांझी एवं छोटी मांझी पिता सुमन मांझी के नाम पर ग्राम केंदला में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 2,41,660.40/– है। ग्राम केंदला में अधिग्रहित भूमि L.A. Case No.- 18/1988-89 के द्वारा द्वितीय पक्ष को सौंप दिया गया था और साथ ही जिला अधिकार, हजारीबाग के द्वारा दिनांक 30.09.1992 को भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र भी द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्गत किया गया। बाद में ग्राम केंदला की उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के बाद द्वितीय पक्ष ने वर्ष 1992 से ही भूमि पर खनन और संबद्ध गतिविधियों की शुरूआत की और वर्तमान समय में भी द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त संचालन किया जा रहा है। ग्राम बंजी के खाता सं0 31 प्लॉट सं0 685 रकबा 0.14 एकड़ भूमि उपायुक्त, हजारीबाग के L.A. Case No.- 19/1988-89 द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के धारा 4 के अधिसूचना सं0 DLA-HAZ 64/85/2968 RA दिनांक 26.05.1987 द्वारा अधिग्रहित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के द्वारा जिला गजट में घोषणा सं0 DLA-116/89/1351 दिनांक 28.04.1988 तथा दिनांक 26.05.1990 को तैयार हुई अवार्ड के

सूची प्रकाशित की गई थी। बाद में L.A. Case No.- 19/1988-89 अवार्ड दिनांक—28.04.1989 में प्रकाशित हुई थी। यहां उल्लेख करना उचित है कि मंझिया मांझी पिता रूदु मांझी के बाबु राम मांझी एवं कालिया पिता छोटका मांझी एवं नवीकरण के धारा 11 के अन्दर क्रमांक 19 में 0.14 एकड़ भूमि के नाम पर ग्राम बंजी में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 7,262.50/ जमा किया गया है। ग्राम बंजी में अधिग्रहित भूमि L.A. Case No.- 19/1988-89 के द्वारा द्वितीय पक्ष को सौंप दिया गया था और साथ ही जिला अधिकारी, हजारीबाग के द्वारा दिनांक—30.09.1992 को भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र भी द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्गत किया गया। बाद में ग्राम केदला की उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के बाद द्वितीय पक्ष ने वर्ष 1992 से ही भूमि पर खनन और संबद्ध गतिविधियों की शुरूआत की और वर्तमान समय में भी द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त संचालन किया जा रहा है। ग्राम बंजी के 0.14 एकड़ भूमि का अवार्ड जिला भू—अर्जन कार्यालय के द्वारा मंझिया मांझी पिता स्व0 जादो मांझी (प्रथम पक्ष के पिता) के द्वारा दायर आवेदन पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा—18 के अनुसार L.A. Case No.- 525/1992 पर श्री रमेश कुमार गुप्ता, सिविल जज (Sr. Div.) -II हजारीबाग के पारित आदेश दिनांक 19.09.2006 को किया गया। द्वितीय पक्ष ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन)— II, हजारीबाग के प्रथम अपील वाद सं0 946/2006 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2006 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची में आवेदन दायर किया और मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के समक्ष लंबित है। आवेदन के पारा 3 में भूमि अधिग्रहण की विवरणी और द्वितीय पक्ष को सौंपे गये दखल कब्जा के बारे में प्रस्तुत किया गया, के संबंध में कहना है कि आवेदक के द्वारा गलत एवं बनावटी दस्तावेज के आधार पर विरोध किया गया है। वर्ष 1987–88 में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहित किया गया और उसके एवज में मंझिया मांझी अपीलार्थी क्रमांक 1 के पिता को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। ग्राम केदला के खाता सं0 38 रकबा 9.66 एकड़ भूमि में प्लॉट सं0 26 नहीं है। आवेदक को उनके द्वारा दावा की जा रही भूमि का कोई पता नहीं है। पारा 4 के संबंध में जवाब की आवश्यकता नहीं है। आवेदन के पारा 5 (A) गलत एवं स्वीकार करने योग्य नहीं है एवं विशेष रूप से इनकार किया जाता है। भूमि राज्य सरकार द्वारा बहुत पहले ही वर्ष 1987—88 में अधिग्रहित कर ली गई थी एवं तब से द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर दखल—कब्जा में है एवं राज्य सरकार के सभी जरूरी अनुमतियों एवं स्वीकृति के बाद खनन गतिविधियों का कार्य किया जा रहा है। आवेदक का आरोप है कि दिनांक 09.09.2013 को बेदखल किया गया गलत एवं अस्वीकार करने योग्य है। आवेदन के पारा 5 (B) गलत एवं स्वीकार करने योग्य नहीं है। भूमि का कब्जा प्रेमलाल मांझी आवेदक क्रमांक 2 को रोजगार देने का आश्वासन और झूठे वादे करके प्राप्त किया गया था। द्वितीय पक्ष प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में कैसे आये, इसका जवाब पहले ही दिया गया है। यह विशेष रूप से अस्वीकार किया जाता है कि द्वितीय पक्ष ने कभी भी आवेदकों को कार्यालय से बाहर धकेल दिया था। इस अनुच्छेद की बाकी बातें अस्वीकार योग्य है। प्रेम लाल मांझी आवेदक

क्रमांक 2 को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ बातें हुई। लेकिन यह आवेदकों द्वारा द्वितीय पक्ष को जमीन सौंपने के कारण नहीं था। उक्त मामला द्वितीय पक्ष के कॉपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर आधारित थी न कि इसमें आवेदकों के किसी कानूनी अधिकार के कारण। रोजगार के लिए उक्त मामला का पूरा विवरण तत्काल उत्तर में विस्तार से बताया जायेगा। आवेदन के पारा 5 (C) के संबंध में कहना है कि वर्ष 1987 88 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.1992 को भूमि पर कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। आवेदन के पारा 5 (D) गलत एवं स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि आवेदक को नौकरी देने का झूठा आश्वासन देकर जमीन पर कब्जा प्राप्त नहीं लिया गया है। आवेदन के पारा 6 गलत एवं स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह विशेष रूप से इनकार किया जाता है कि भूमि एक आदिवासी खेती योग्य भूमि है। वर्ष 1992 में जमीन पर कब्जा देने के बाद से द्वितीय पक्ष कब्जे में रहकर अपने खनन गतिविधियों को कार्य कर रहे हैं और उस भूमि के किसी हिस्से में खेती करने योग्य भूमि नहीं है। आवेदन के पारा 8 के संबंध में कहना है कि वर्ष 1987–88 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण किया गया था और तब द्वितीय पक्ष को दखल कब्जा में आये। यह आगे कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत के प्रथागत नियमों के अनुसार किसी भी विधवा या अनुसूचित जनजाति की किसी भी बेटी को परिवार के पुरूष सदस्य द्वारा छोड़ी गई विरासत और/या रसीद संपत्ति का हकदार नहीं है। परमिशन वाद सं. 22/2005 दिनांक 03.08.2005 सत्य एवं भौतिक तथ्यों के अन्दर द्वितीय पक्ष (टिस्को) को पार्टी नहीं बनाया गया है और इस प्रकार लागू करने योग्य नहीं है। प्रथम पक्ष मौजा बंजी के खाता सं0 31 प्लॉट सं0 885 रकबा 0.14 एकड़ भूमि दान पत्र संख्या 1407 दिनांक 02.09.2005 के द्वारा प्राप्त करने का दावा करते हैं, जो अवैध एवं गलत है। यह कानून का व्यवस्थित सिद्धांत है कि किसी भी भूमि या उसके हिस्से का कोई हस्तांतरण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधिसूचना के उपधारा 4 एवं घोषणा के उपधारा 6 के जारी होने के बाद अनुमान्य नहीं है। वर्तमान वाद दिनांक 26.05.1987 को अधिग्रहण के अधिसूचित किया गया था एवं दिनांक 01.05.1988 को जिला गजट के घोषणा सं0 DLA-116/89/1351 दिनांक 28.04.1988 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा मुआवजे के रूप में राज्य सरकार के कब्जे वाले भूमि कब्जे के प्रमाण पत्र के साथ दिनांक– 30.09.1992 को जमा किया गया था। आवेदक के पक्ष में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5ए के तहत या तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है और फैसला किया गया है। बल्कि आवेदक क्रमांक 01 के पिता ने अवार्ड के वृद्धि के लिए अधिनियम के संदर्भ धारा 18 को प्राथमिकता दी है। इससे यह स्पष्ट है कि दान पत्र सं0 1407 दिनांक 02.09.2005 पूर्ण तरह से गलत, मनगढ़ंत एवं रद्द करने योग्य है। आवेदन के पारा 14 के संबंध में कहना है कि द्वितीय पक्ष को कानून के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर कब्जा दिया गया है।

जैसा कि पहले से ही तत्काल उत्तर में समझाया गया है और उचित मुआवजा पहले ही उक्त भूमि के अधिग्रहण के विरूद्ध जमा किया जा चुका है। उक्त विवरण को पुनः विस्तृत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। सिविल अपील सं0 6741 6742/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–20.09.2012 में तत्कालीन मामले को तथ्यों से अलग रखा गया है और वर्तमान वाद माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। आवेदन के पारा 18 में रिट याचिका सं0 7282/2013 (सावित्री मझियाईन उर्फ सावित्री देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य) को वापस लेने के लिए आग्रह किया। द्वितीय पक्ष उसमें पक्षकार नहीं है। उक्त रिट याचिका में अन्य आवेदकगण के साथ–साथ आवेदकों ने आई.ए. सं0 4948/2014 में कहा है कि वे उक्त रिट आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। आगे कहा है कि आवेदक क्रमांक 01 ने उक्त भूमि के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता (दं0प्र0सं0) की धारा 144 के प्रावधानों के तहत् वाद सं0 218/2016 अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर किया। द्वितीय पक्ष ने उक्त मामले में अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया। द्वितीय पक्ष ने आवेदकों के आचरण का पूरा ब्यौरा दिया, जिसमें दं0प्र0सं0 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत् दो पूर्व के मामले दर्ज किये गये थे, जिसका वाद सं0 92/2016 एवं 160/2016 भी शामिल थे। इस तथ्य को बताते हुए कि उक्त दोनों मामलों को अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने अस्वीकृत कर दिया था। उन्होंने आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है। अपने दावे के रूप में अधिसूचना दिनांक 30.03.1988 की छायाप्रति, ग्राम केदला में पंचाट वाद सं0 18/88–89 की छायाप्रति, ग्राम केदला में भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.1992 की छायाप्रति, घोषणा DLA No. 116/89–1351 दिनांक 28.04.1988 की छायाप्रति, समाचार पत्र दिनांक 30.09.1992 की छायाप्रति, ग्राम पंजी में भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.1992 की छायाप्रति, LR Case No. 525/92 की छायाप्रति, I.A. No 4948/2014, W.P. (C) I.A. No. 7282/2013 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायसंगत बताते हुए, निम्न न्यायालय आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 4(ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वापस किया जा सकता है।

सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि मौजा केदला के खाता सं0 38 प्लॉट सं0 47, 48 कुल रकबा 18.66 एकड़ मध्ये रकबा 1.61 एकड़ भूमि रैयती (आदिवासी खाता) की भूमि है, खतियान में रानजीव मांझी वो जेठु वो बुधु वो रतना वो चुड़का वो रामी वो छोटो पेशरान शोमना मांझी कौम संथाल, व हिस्सा बराबर दर्ज है। प्रथम पक्ष का

कहना है कि उक्त भूमि को बिना मुआवजा/नौकरी के द्वितीय पक्ष टाटा कम्पनी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लेकिन द्वितीय पक्ष के द्वारा कहा गया है कि उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत् अधिग्रहित किया गया है, जिसका वाद सं0 18/1988–89 है एवं जिसका अधिसूचना सं0 DLA-HAZ 117/87/1000R पटना एवं खतियानी रैयत के नाम से पंचाट भी घोषित है। खतियानी रैयत के द्वारा मुआवजा से असंतुष्ट होने के पश्चात् धारा 18 के तहत् L.A. वाद दायर किया गया है। उसी प्रकार मौजा बंजी के खाता सं0 31 प्लॉट सं0 686 रकबा 0.14 एकड़ भूमि रैयती (आदिवासी खाता) खाते की भूमि है। खतियान में शिकारी मांझी के नाम से दर्ज है। चालू पंजी II के पृष्ठ सं0 7/V में सावित्री देवी के नाम से जमाबंदी कायम है। अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष केवाला से दावा करते हैं। जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की तहत् अधिग्रहित किया गया है।, जिसका वाद सं0 19/1988–89 है एवं अधिसूचना सं0 DLA No. 116/89 1351 दिनांक 28.04.1988 है। जिसमें खतियानी रैयतों के नाम पंचाट घोषित किया गया है। पंचाटियों के द्वारा मुआवजा बढ़ोत्तरी संबंधी धारा 18 के तहत भी मुकदमा दायर किये थे। एक तरफ प्रथम पक्ष एवं अंचल अधिकारी, माण्डू का यह कहना कि उक्त भूमि से आवेदक को 5 6 वर्षों से बेदखल किया गया है। दूसरी तरफ द्वितीय पक्ष को अधिग्रहण के पश्चात् 1992 में ही दखल कब्जा प्रमाण पत्र का मुआवजा एवं नौकरी हेतु दावा किया जा रहा है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46–4(ए) के तहत् मुआवजा एवं नौकरी का प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद सं0 50/2015–16 (सावित्री देवी वगै0 बनाम् मेसर्स टाटा स्टील लि0 वेस्ट बोकारो) में दिनांक–18.03.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए, अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति एवं मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.04.28 17:36:11 +05:30
Location: 192.168.137.1